यह निरीक्षण प्रतिवेदन, कार्यालय उपशिक्षा आधिकारी (प्राथमिक शिक्षा) डीडीहाट (पिथौरागढ़)द्वारा, उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गई है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय उपशिक्षा आधिकारी (प्राथमिक शिक्षा) डीडीहाट (पिथौरागढ़), के माह 06/2012 से 01/2019 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अजय त्यागी, श्री राजा रंजन राव सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री गौरव पंत वरिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 16/02/2019 से 20/02/2019 तक श्री टी0एस0 नेगी लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

परिचयात्मकः इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।

(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः इकाई द्वारा विकास खंड डीडीहाट (पिथौरागढ़) के अंतरगत संचालित उ0 प्रा0 एवं प्रा0 विद्यालय (शासकीय) का वेतन तथा अशासकीय विद्यालयों का नियंत्रण रखा जाता है। कार्यालय नेशनल हाइवे से 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एवं तहसील डीडीहाट से लगभग ½ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख में)

क्र°सं°	वित्तीय वर्ष	स्थापना			गैर स्थापना			आधि° (+)	बचत
		प्रा°शे°	आवंटन	व्यय	प्रा°शे°	आवंटन	व्यय		
1	2015-16	-	1257.72	1257.72	-	7.57	7.57	-	-
2	2016-17	-	1313.74	1313.27	-	2.04	2.03	-	0.48
3	2017-18	-	1466.51	1464.56	-	6.19	4.45	-	3.69
4	2018-19 (01/2019 तक)	-	1278.31	1278.31	-	11.76	6.53	-	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम			प्राप्त धनराशि		(रु लाख मे)	
	(सर्व शिक्षा अभियान)	प्रा॰ शेष	वर्ष के दौरान आवंटन	विविध प्राप्ति(व्याज आदि)	कुल प्राप्ति	व्यय	बचत
2015-16		-	-	-	-	-	-
2016-17		-	-	-	-	-	-
2017-18		-	-	-	-	-	-
2018-19(12/18 तक)		-	-	-	-	-	-

(ii) गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई को केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं कोषागार मद से धनराशि प्राप्त होती है। इकाई श्रेणी स के अंतर्गत आती है।

(iii) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय उपशिक्षा आधिकारी (प्राथमिक शिक्षा) डीडीहाट (पिथौरागढ़) की लेन देन की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया है। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय उपशिक्षा आधिकारी (प्राथमिक शिक्षा) डीडीहाट (पिथौरागढ़) की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 08/2017,03/2017 ,12/2018 &07/2015---- को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया उक्त माहों का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन सर्वाधिक व्यय के आधार पर किया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग दो 'ब'

प्रस्तर- 1: Rs 12.08 लाख के बिल-वाउचर तथा अवधि माह 06/2012 से 04/2017 तक की रोकड़ बही उपलब्ध नही किया जाना

As per 'Manual for Drawing and Disbursing Officers', the detailed instructions to be followed by DDOs for maintenance of **Cash Book** as discuss below:-

(i) The DDO will ensure that all monetary transaction in his office are entered in a cash book in the prescribed form. The other important instructions mentioned in the ensuring paragraphs should be observed in this regard.**(Para 1.8)**

(ii) The cash book should be maintained in form GAR 3/TR 4. It should be bound and its pages machine numbered. Before bringing a cash book into use, the DDO should count the number of pages and record a certificate of count on the first page of the cash book.**(Para 1.9)**

(iii) All monetary transaction should be entered in the cash book as soon as they occur and be attested by the DDO in token of such check. **(Para 1.10)**

(iv) The cash book should be closed regularly and completed checked. The DDO should verify the totaling of cash book or have this done by some responsible subordinate other than the writer of the cash book and initial it as correct. **(Para 1.11)**

(v) At the end of each month, the DDO should verify the cash balance in the cash book and record a signed and dated certificate to that effect. **(Para 1.12)**

(vi) An erasure or overwriting of an entry once made in the cash book is strictly prohibited. If a mistake is discovered, it should be corrected by drawing the pen through the incorrect entry and inserting the correct one in red ink between the lines. The DDO should initial entry such correction and date his initial invariably.**(Para 1.14)**

कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी, डीडीहाट की रोकड़ बही एवं बिल-वाउचर जांच मे पाया गया कि कार्यालय द्वारा माह 05/2017 से पूर्व की अवधि(माह 06/2012 से 06/2017 तक) की रोकड़ बही लेखापरीक्षा जांच के लिए उपलब्ध नही करायी गयी जिसके कारण इस अवधि की जांच नही की जा सकी तथा निम्न वाउचर जांच हेतु प्रस्तुत नही किए गए-

Sl. No.	Month	Bill No.	Voucher No.	Gross Amount(in Rupee)
1	03/2017	104	B22021608	4700
2	07/2015	31607	A22020017	78196
3	07/2015	51507	A22020086	39525
4	07/2015	03	B22020132	52000
5	07/2015	04	B22020133	52000
6	07/2015	06	B22020134	52000
7	07/2015	05	B22020135	52000

8	07/2015	02	B22020136	52000
9	07/2015	07	B80090099	735000
10	07/2015	81407	A22020176	91894
				1209315

उपरोक्त के संबंध मे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर पर इकाई द्वारा तथ्यो एवं आंकड़ो की पुष्टि करते हुए उत्तर मे बताया गया कि रोकड़ बही का नियमानुसार रख-रखाव सुनिश्चित किया जाएगा तथा उक्त अवधि में कार्यरत कर्मचारी का स्थानांतरण अन्यत्र हो जाने के कारण माह 06/2012 से 04/2017 तक की रोकड़ बही उपलब्ध नही हो पा रही है रोकड़ बही के उपलब्ध होते ही लेखपरीक्षा को सूचित किया जाएगा तथा संबंधी वॉउचर उपलब्ध होने के पश्चात उपलब्ध करा दिए। इकाई का उत्तर अमान्य है क्योंकि आहरण वितरण अधिकारी द्वारा 'Manual for Drawing and Disbursing Officers' के अनुसार रोकड़ बही का रखरखाव किया जाना अनिवार्य हैं।

अत: Rs 12.08 लाख के बिल-वाउचर तथा अवधि माह 06/2012 से 04/2017 तक की रोकड़ बही उपलब्ध नही किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तरः1 शिक्षा मित्रों के मानदेय (धनराशि रू0 2.05 लाख) का भुगतान एक वर्ष से अधिक समय से लम्बित रहना।

शासनादेश संख्या–1221/XXiV(1)/2016–15/2004Vcl-III दि0–29 नवम्बर, 2016 के अनुसार शिक्षा मित्रों का मानदेय रू0–13000 प्रतिमाह से बढ़ाकर रू0–15000 प्रतिमाह कर दिया गया था।

शिक्षा मित्रों के मानदेय सम्बन्धी पत्रावली की लेखा परीक्षा जॉच में पाया गया कि इकाई के अन्तर्गत विद्यालयों में कार्यरत 05 शिक्षा मित्रों का दिसम्बर, 2016 से जनवरी, 2018(कुल 14 माह) में से दिसम्बर 2016 से दिसम्बर, 2017 तक(13 माह) का बढा हुआ मानदेय रू0– 130000.00(रू0 2000x5x13) तथा जनवरी, 2018(01 माह) का मानदेय राशि रू0–75000 (रू0–15000x5) अर्थात कुल रू0–205000.00 का भुगतान एक वर्ष से अधिक समय बाद भी नही किया गया था।

इंगित करने पर इकाई द्वारा उत्तर में बताया गया कि वर्ष–2017–18 में शिक्षा मित्रों का मानदेय मार्च, 2018में बजट विलम्ब आवंटित होने के कारण तथा ट्रेजरी द्वारा जनरेट करने के उपरान्त भी ट्रेजरी द्वारा देयक पारित नही किया गया। बजट पुनः आवंटन हेतु जिला मुख्यालय प्रारम्भिक की सेवा में प्रेषित की गयी थी। बजट अद्यतन अप्राप्त है।

अतः मानदेय मद में बजट आवंटन नही किये जाने के कारण शिक्षा मित्रों के मानदेय(रू0–2.05 लाख) का भुगतान एक वर्ष से अधिक समय से लम्बित रहने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर :2- नई पेंशन योजना के अन्तर्गत नव-नियुक्त कर्मचारियों/अधिकारिओं के वेतन शीट /कोषगार शीट में कर्मचारिओं की एनपीएस नमूना जांच मे नियोक्ता का अंश (state share) की धनराशि जमा न होने एवं कई कर्मचारिओं को PRAN NO आबंटन न होने के सम्बंध में।

उत्तराखंड राज्य में दिनांक – 01/10/2005 के पश्चात सेवा मे नियुक्त अधिकारिओं/ कर्मचारियों हेतु वित्त विभाग की अधि सूचना -21/XXVII(7) अंश दाई पेंशन योजना /2005 द्वारा राष्ट्रीय पेंशन योजना के अन्तर्गत अंश दाई पेंशन योजना लागू की गयी थी। इस सम्बंध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या -643/XXVII(7) अंश दाई पेंशन योजना /2010 दिनांक 11/08/2010 के प्रस्तर –(2) के प्रविधनानुसार उक्त पेंशन योजना के अन्तर्गत कार्मिकों व नियोक्ता/सेवायोजक के अंश की धनराशि कोषागार द्वारा लेखा शीर्षक -0071-पेंशन तथा अन्य सेवा निवर्ति लाभों के लिए 00-117-नई पेंशन योजना 01-कर्मचारी का अंश , 02- नियोक्ता का अंश(state share) के नामे जमा किए जाने की व्यवस्था की गयी थी ।

इस संबंध में अपर सचिव उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या -113/06/XXVII(10) 2017 दिनाक -06/04/17 में स्पष्ट किया गया है कि अंश दाई पेंशन योजना के अन्तर्गत कार्मिको के 10% अंशदान की कटौती उनके वेतन मद के लेखा शीर्षक -8342011170301 मे जमा किया जाएगा। साथ ही समतुल्य धनराशि सरकार के अंशदान के रूप मे 2071011170301 से कटौती कर लेखा शीर्षक 8342011170302 में जमा की जाएगी। इस प्रकार लेखा शीर्षक -83420111703 में जमा कुल धनराशि को आहरित कर निदेशक, कोषागार द्वारा सी0 आर0 ए0 को प्रेषित किया जाएगा। उक्त प्रकरण में नई पेंशन योजना के अंतरगत निम्न विवरण के अनुसार वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में 05 नव-नियुक्त कर्मचारियों/ अधिकारिओं के वेतन शीट /कोषगार शीट की नमूना जांच में निम्न प्रकार NPS कटौतियाँ सुनिश्चित की गयी थी , जिसका विवरण निम्नवत है।

कार्यालय उप शिक्षा आधिकारी(प्राथमिक शिक्षा) डीडीहाट (पिथौरागढ़) मे कार्यरत नव-नियुक्त कर्मचारियों/ अधिकारिओं के एनपीएस खातो एवं उससे संबन्धित अभिलेखो की संप्रेक्षा जांच मे पाया गया है कि कर्मचारिओं के नमूना जांच में वेतन शीट /कोषगार शीट मे नियोक्ता का अंश(state share) सम्प्रेक्षा तिथि(01/19) तक का जमा होना नहीं पाया गया था। संप्रेक्षा जांच मे यह भी पाया गया है कि संस्था मे तैनात कर्मचारियों/अधिकारिओं/शिक्षकगण में से कर्मचारियों/ अधिकारिओं/ शिक्षकगण की NPS पासबुक एवं लेजर तैयार नहीं किये गए थे तथा उनके NPS पासबुक एवं लेजर में 10% state share भी दर्ज नहीं किया जा रहा है एवं कई कर्मचारिओ को PRAN NO आवंटन नहीं किया गया था।

कोषागार डीडीहाट (पिथौरागढ़) के E-कोष द्वारा कोषगार शीट मे नियोक्ता का अंश(state share) 03/2017 से जमा नहीं किया जा रहा है। संप्रेक्षा जांच मे यह पाया गया कि कॉलेज द्वारा कोषाधिकारी एवं निदेशालय को भी लगभग 02 वर्ष

से इस सम्बंध मे पत्र द्वारा कोई सूचना नहीं दी। इस सम्बंध मे संप्रेक्षा द्वारा इकाई से पूछे जाने पर कॉलेज द्वारा अवगत कराया कि उक्त प्रकरण मे लेखापरीक्षा के निर्देशों का पालन करते हुऐ कार्यवाही की जायेगी। संप्रेक्षा में इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा उक्त प्रकरण मे संप्रेक्षा तिथि (01/19) तक कोई कार्यवाही नहीं कि थी। शासन आदेश में-06/04/17 मे स्पष्ट है कि प्रविधनानुसार उक्त पेंशन योजना के अन्तर्गत कार्मिको व नियोक्ता/सेवायोजक के अंश की धनराशि का लेखांकन सुसंगत लेखा शीर्ष के अंतर्गत न किए जाने के संबंध में महालेखाकार उत्तराखंड द्वारा वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन 2015-16 मे आपत्ती दर्ज कि गयी थी । प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हें ।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II'ब' प्रस्तर संख्या	अनुपूरक नमूना लेखापरीक्षाटिप्पणी
इकाई की प्रथम लेखा परीक्षा ।			

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन सं०	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई की प्रथम लेखा परीक्षा ।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

"शून्य"

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय उप शिक्षा आधिकारी(प्राथमिक शिक्षा) डीडीहाट (पिथौरागढ़) तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

(i) शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्री डेस. कोराल	उप शिक्षा अधिकारी	16.09.10 से 04.08.12
2.	श्री मान सिंह		05.08.12 से 15.03.16
3.	श्री हिमांशु श्रीवास्तव		16.03.16 से 05.01.17
4.	श्री हरक राम कोहली		06.01.17 से 07.08.17
5.	श्री लक्ष्मी दत्त कांडी		08.08.17 से 26.08.18
6.	श्री पुष्पराज भट्ट		27.08.18 से 03.02.19
7.	श्री लक्ष्मी दत्त कांडी		04.02.19 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय उप शिक्षा आधिकारी(प्राथमिक शिक्षा) डीडीहाट (पिथौरागढ़) को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार सामाजिक क्षेत्र (संबंधित क्षेत्र का नाम) को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.